# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 55/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)**

1. स्वर्गीय अर्जुनसिंह पिता श्री गलाब जी, जाति पटेल के बजाय :–

1/1. श्रीमती शारदा पटेल पत्नी स्वर्गीय अर्जुनसिंह, जाति पटेल, निवासी सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. महेश पिता स्वर्गीय अर्जुनसिंह, नाबालिग जरिये संरक्षक वलिया श्रीमती शारदा पटेल पत्नी स्वर्गीय अर्जुनसिंह, जाति पटेल, निवासी सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. गटु पिता स्वर्गीय अर्जुनसिंह, नाबालिग जरिये संरक्षक वलिया श्रीमती शारदा पटेल पत्नी स्वर्गीय अर्जुनसिंह, जाति पटेल, निवासी सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. भुरा पिता मोगजी, जाति बुनकर, निवासी सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. धुलजी पिता रूपाजी, जाति आदिवासी, निवासी सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. धनजी पिता रतनाजी, जाति गायरी, निवासी सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................ अपीलान्टगण

**बनाम**

1. अमृतलाल पिता श्री निर्भयराम, जाति ब्राहमण, निवासी सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा सालिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा।

3. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 28.09.2015 प्र.सं. 55/1998

———/———

उपस्थित(वक्त बहस) 1— श्री देवेन्द्र निगम अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3— राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

**निर्णय दिनांक 06—02—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध धारा 88 काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात किता 5 रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्तमान में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अमृतलाल के नाम दर्ज है। खसरा नंबर 1733/788 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर सरकारी स्कूल का भवन बना हुआ है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 मदाखलत करता है। ग्रामीणों की तरफ से जिला कलक्टर बांसवाड़ा के समक्ष आवंटन निरस्ती का आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवंटन निरस्त करने निवेदन किया। सेटलमेन्ट रेकार्ड संवत् 1996 में उक्त आराजी नंबर 788 रकबा 20 बीघा सरकारी रेकार्ड में दर्ज थी। खसरा नंबर 1733/788 कभी भी गैर सायल को आवंटित नहीं किया गया, बल्कि गैर सायल नंबर 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त जमीन का इन्द्राज अपने नाम करा लिया। निवेदन किया कि उक्त भूमि को श्री सरकार दर्ज किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकियात कायम की गयी। अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में चल रही थी। इसी दौरान दिनांक 28—09—2015 को पत्रावली लोक अदालत में रखी गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सर्वे नंबर 1733/788 रकबा 7 बीघा में से 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्कूल के नाम, 3 बिस्वा भूमि किस्म रास्ता तथा शेष 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि बदस्तूर प्रतिवादी संख्या 1 अमृतलाल के नाम दर्ज रहने के आदेश दिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28—09—2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रकरण में दिनांक 20–01–2016 को क्रोस अपील भी पेश की गयी, जिसकी प्रतिलिपि अपीलान्ट तथा सरकार को दिलायी गयी। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम अपील के सन्दर्भ में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दफा 96 जा.दी. के आवेदन का निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उनके आवेदन पर ही सरकारी स्कूल बना होने के आधार पर आवंटन खारिज करने तथा भूमि को श्री सरकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्कूल के छात्रों व अभिभावकों के विरूद्ध है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण की आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा परोक्षरूप से छात्रों के अभिभावक के प्रतिनिधि के रूप में आवेदन प्रस्तुत किया था।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में मूलता आवेदन तहसीलदार द्वारा पेश किया गया है तथा उक्त आवेदन विवादित भूमि पर सरकारी विद्यालय बना होने से पेश किया गया है। वस्तुतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा पेश किया गया है। यदि विद्यालय के लिए संरक्षक के रूप में शिक्षा विभाग अथवा पंचायत द्वारा आवेदन पेश किया जाता तो उसे हम किसी भी सूरत में आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित मान सकते थे, परन्तु किसी व्यक्ति विषेश द्वारा छात्रों का अभिभावक होने के नाते आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार माने जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में उनके द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, न ही अपील स्तर पर यह प्रमाणित होता है कि वह आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित हैं। यदि अपीलान्ट व्यथित हैं तो उन्हें पुनः सरकार जरिये तहसीलदार अथवा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने मौका

रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है, तद्नुसार इस स्तर पर अपीलान्ट को इस प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित माने जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतएवं अपीलान्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील का प्रश्न है, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया कि आराजी नंबर 1733/788 की 1 बीघा भूमि ग्रामवासियों के निवेदन पर वर्ष 1984 में स्कूल के पक्ष में रास्ते के लिए छोड़ दी थी, शेष भूमि पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर 1 बीघा के बजाय 1 बीघा 14 बिस्वा स्कूल के नाम तथा 3 बिस्वा रास्ते के नाम तथा शेष भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रहने का जो आदेश दिया है, वह विधि विरूद्ध है। ग्रामवासी बार–बार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को तंग व परेशान करने व भूमि हड़पने के लिए आवेदन व शिकायत प्रस्तुत करते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का विधिवत विवेचन नहीं किया है। आराजी नंबर 1733/788 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे में दर्ज होकर 50 वर्षो से उसका कब्जा चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा क्रोस अपील पर बहस सुनी गयी तथा पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में कार्यवाही के दौरान प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में विचाराधीन होने के बावजूद दिनांक 28–09–2015 को लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सहमति नहीं होने के बावजूद ग्रामवासियों के कथन के आधार पर बिना साक्ष्य लिये तथा बिना तनकीवार विवेचन किये 1 बीघा 14 बिस्वा स्कूल के नाम तथा 3 बिस्वा रास्ते के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जो, प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–08–2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगण रखते

हुए उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर तथा सुनकर तनवीकार विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09—04—2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06—02—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू—प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ................................**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ............................................

**स्वर्गीय नागजी के बजाय देवजी जाति भील, निवासी सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य** बनाम **कानजी आत्मज बदिया, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.............**14/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**बांसवाड़ा**......... मुकाम................मुवर्खे..........**.29**..................माह...............**01**.........**2015**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**24**....माह........**01**.......सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री भगवतपुरी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ...... **श्री यशपाल गुप्ता**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....................................अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**24**......माह.......**01**...........**2018**
को जारी किया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .........<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .......<br>4. वकील फीस बाबत .........<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ...............<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील...........<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।